RCMS: 2020/00038

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

गुरमीत सिंह वगैरा बनाम स्टेट

अपील प्रकरण संख्या :– 14/2020

अधिवक्ता प्रार्थी :–श्री बलकरण सिंह बराड़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
17.03.2020	अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट बाद रिपोर्ट पेश हुआ। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकॉर्ड तलबी हेतु दिनांक 24.04.2020 को पेश हो।	
24/4/20	कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार लॉकडाउन रखा गया है अतः पत्रावली इसी प्रकार दि. 10/7/20 को पेश हो।	
10/7/20	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभापक उपस्थित नहीं आ रहे है। पीठासीन अधिकारी ...... है। पत्रावली दिनांक 28/8/20 को पेश हो।	
31/8/20	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभापक उपस्थित नहीं आ रहे है। पीठासीन अधिकारी अवकाश ...... है। पत्रावली दिनांक 11/9/20 को पेश हो।	उपखण्ड अधिकारी ... रिकॉर्ड प्राप्त फाइल 60 19.8.20
11/9/20	अपीलार्थी अधिवक्ता उप.। रिकॉर्ड प्राप्त हो चुका है पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 15/9/20 को पेश हो	
15/9/20	अपीलार्थी अधिवक्ता उप.। बहस हेतु समय चाहा पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28/9/20 को पेश हो	
28/9/20	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभापक उपस्थित नहीं आ रहे है। पीठासीन अधिकारी ...... है। पत्रावली दिनांक 9/10/20 को पेश हो।	
09/10/20	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभापक उपस्थित नहीं आ रहे है। पीठासीन अधिकारी ...... है। पत्रावली दिनांक 23/10.20 को पेश हो।	

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.10.20 अपीलार्थी के अधिवक्ता व उप अधिवक्ता श्री जगमोहन आहूजा की ओर से प्रार्थना पत्र O1 R10(2) व धारा 151 सीपीसी मय वकालतनामा प्रस्तुत। प्रार्थना पत्र की प्रति अपीलांट अधिवक्ता को दी गयी। पत्रावली वास्ते जवाब बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 27/10/20 को पेश हो।

27.10.20

Not Press
D
27/10/2020

अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि उक्त अपील आगे नहीं चलाना चाहते है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने नोटप्रैस कर प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया।

अधिवक्ता जगमोहन आहूजा द्वारा अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) एवं धारा 151 सीपीसी दिनांक 23.10.2020 को प्रस्तुत कर पक्षकार बनने हेतु निवेदन किया, जो स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के रूप में पक्षकार बनाया गया जिसका लाल स्याही से नाम इन्द्राज किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने अपनी बहस में कथन किया कि नायब तहसीलदार समेजा कोठी द्वारा प्रकरण संख्या 102/2020 अनवानी प्रकरण सरकार बनाम गुरमीत सिंह आदि में पारित आदेश दिनांक 21.01.2020 विधिसम्मत् है क्योंकि अपीलांट द्वारा चक 19 पीटीडी (1बीडब्ल्यूएसएम) से आगे रस्ता बरूवाला गांव को जाता है इस रास्ते की गैरमुमकिन भूमि मुरब्बा नम्बर 28 के विभिन्न किलाजात में .532 हैक्टर गैरमुमकिन रास्ते की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिस पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। अपीलांट द्वारा इसी भूमि की गैरमुमकिन रास्ते की भूमि पर खातेदारी लाने हेतु एक वाद धारा 88–188–92 आरटीएक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर में किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना हो गई है और फसल की निलामी कर राशि भी राज्यकोष में जमा करवाई चुकी है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा अपील नोटप्रेस करने एवंम अपील आदेश की पालना होने से अपील स्वतः ही निष्प्रभावी हो चुकी है। नायब तहसीलदार, समेजा कोठी को निर्देशित किया जाता है कि आगामी वर्ष में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण जारी रखता है तो नियमानुसार पुनः कार्यवाही करे। आदेश की प्रति सम्बन्धित नायब तहसीलदार को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner